HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2303/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 2995/2025

1. Sonu Sharma S/o Sajjan Sharma, R/o Naalpur, Police Station Mehada, Jhunjhunu, District Jhunjhunu, (Rajasthan). (Appellant Is Presently Lodged In Central Jail At Jhunjhunu).
2. Lilam Devi D/o Vinesar Wife Of Sonu Paswan, R/o Dhanarua, Police Station Dhanarua, District Patan Bihar, Presently Resident Of Duloth Ahir, Police Station Mahendragarh Sadar, District Mahendragarh (Haryana) Presently Naalpur, Police Station Mehada, Jhunjhunu, District Jhunjhunu, (Rajasthan). (Appellant Is Presently Lodged In Central Jail At Jhunjhunu).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikram Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. & Mr. Navdeep Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

16/04/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, झुंझुंनू (राज0)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**62/2023 राजस्थान राज्य**

बनाम **सोनू शर्मा एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश क्रमशः दिनांक **15.10.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **सात वर्ष** के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विचारण के दौरान वे कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं तत्पश्चात वे जमानत पर रहे हैं, उनकी अभिरक्षा अवधि दस माह से अधिक समय हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, साक्षीगण की साक्ष्य एवं संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के

संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **18.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. सोनू शर्मा पुत्र सज्जन शर्मा, 2. लीलम देवी पुत्री विनेसर पत्नी सोनू पासवान** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /46